भारतीय राजनीति में दबाव समूह

दबाव समूहों की राजनीति को गैर-दलीय संरचनाओं की राजनीति के संदर्भ में समझा जा सकता है। ये दलगत राजनीति से बाहर रहकर दलों की कार्य प्रणाली और उसके द्वारा सरकारों की कार्य प्रणाली को अपने हित में प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। यह समान हित वाले लोंगों के ऐसे संगठन हैं जो संगठित रूप से अपने हितों की रक्षा और उसके विकास के लिए सक्रिय रहते हैं। अपने हितार्थ ये सरकारों पर दबाव पर दबाव बनाते हैं और सरकार के फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। ये लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूती प्रदान करते हैं। ये सत्ता की जबरदस्ती का वि**धिक और गैर विधिक** तरिकों से प्रतिकार करते हैं। अतः राजनीतिक प्रक्रियाओं में दबाव समूहों का विशिष्ट महत्व है।

दबाव समूहों को हित समूह, गैर सरकारी संगठन, अनौपचारिक संगठन तथा लॉबी आदी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। लेकिन ये हित समूहों से अलग होतें हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि दबाव समूह वे हित समूह होते हैं जो शासकीय नीतियों को अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरह से संगठित प्रयास करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य शासकीय नीतियों को अपने पक्ष में प्रभावित करना होता है। **माइरन वीनर** के शब्दों में **दबाव समूहों से हमारा तात्पर्य शासकीय व्यवस्था से बाहर किसी भी ऐसे एच्छिक, किन्तु संगठित समूह से है जो शासकीय अधिकारियों की नामजदगी अथवा नियुक्ति, सार्वजनिक नीति के निर्धारण, उसके प्रशासन और समझौता व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करता है।**

किसो भो राजनोतिक व्यवस्था में दबाव समूहों को गतिविधियों का निर्धारण उस व्यवस्था को राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति और विशेषताओं पर निर्भर करती है। विकासशील देशों की राजनीतिक वयवस्थाओं की प्रकृति विकसित देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रकृति से भिन्न होती है। जिस कारण इन देशों में दबाव समूहों की भूमिका और प्रभाव में भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे अमेरिका जैसे विकसित राजनीतिक व्यवस्था वाले देश में बहुसंख्यक दबाव समूह परिस्थितिजन्य प्रकृति वाले, विधि सम्मत प्रक्रियाओं का अनुसरण करने वाले तथा क्रांतिकारी परिवर्तनों की आशा न करने वाले प्रकृति के होते हैं। भारत जैसे विकासशील और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में भी बड़ी मात्रा में दबाव समूह विद्यमान हैं लेकिन इनकी प्रकृति भिन्न है और इनका विकास भी पश्चिमी विकसित देशों की तरह नहीं हुआ है। प्रो. मायरन वीनर ने अपनी रचना **पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटि** तथा **स्टेनली कोचनीक** ने अपने ग्रंथ **बिजनेस एण्ड पॉलिटिक्स इन इण्डिया** में भारतीय राजनीति में दबाव समूहों का विश्लेषण किया है। उनके निष्कर्षों के आधार पर भारत में दबाव समूहों की प्रकृति निम्न प्रकार की स्पष्ट होती है :–

1. परम्परागत समाज होने के कारण भारतीय राजनीति में परम्परावादी दबाव समूहों जैसे; जाति, समुदाय, धर्म और क्षेत्रीय संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये असमुदायात्मक दबाव समूह होते हैं जिनका विकासशील भरतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाई पड़ता है।

2. भारत में समुदायात्मक दबाव समूह अधिकांशतः स्वतंत्र नहीं होते हैं। उनपर राजनीतिक दलों का प्रभाव रहता है।

3. संघीय शासन व्यवस्था होने के कारण क्षेत्रीय दलो की संख्या भी अधिक होती है और ये क्षेत्रीय दल भी कभी कभी दबाव समूहों की भूमिका में होते हैं।

4. राजनीतिक दलों तथा अन्य जवाबदेह संस्थाओं द्वारा जनता की समस्याओं को, मांगों का नीति निर्माण तक न पहुचाने के कारण प्रदर्शनकारी दबाव समूहों का महत्व और संख्या में बढ़ोतरी दिखाई देती है। नक्सल संगठन, आरक्षण विरोधी और आरक्षण समर्थक संगठन, हिन्दू संगठन आदी इसी तरह के संगठन हैं जो अचानक से राजनीतिक पटल पर आ जाते हैं और राजनीतिक व्यवस्था में मुख्य भूमिका निभा जाते हैं।

5. भारत में दबाव समूह मुख्यतया प्रशासकों को प्रभावित करने में लगे रहते हैं न की नीति निर्माण को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं।

6. भारत में परम्परागत दबाव समूहों के साथ साथ आधुनिक दबाव समूहों जैसे व्यवसायिक संघ, कृषक संघ आदी का भी महत्व बढ़ रहा है।

7. भारत में दबाव समूह वैधानिक साधनों के साथ साथ अवैधानिक साधनों जैसे हिंसा, जन आंदोलन, हड़ताल, अनशन और अवैधानिक साधनों का भी प्रयोग करते हैं।

भारतीय दबाव समूहों के उपरोक्त लक्षणों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में असमुदायात्मक और प्रदर्शनकारी दबाव समूहों का ज्यादा बोलबाला है। ये प्रत्यक्ष रूप से जनमत को प्रभावित करते हैं और व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन की उम्मीद करते हैं। संस्थात्मक और समुदायात्मक दबाव समूहों की कार्यशैली सामान्यतः गुप्त रहती है। वे राजनीतिक दलों और सरकार के प्रभाव में काम करते हैं। संक्षेप में भारत में क्रियाशील दबाव समूहों को **आमण्ड तथा पॉवेल** की दबाव समूहों के वर्गीकरण के आधार पर चार भागों में विभाजित किया जा सकता हैः–

1. **संस्थानात्मक दबाव समूह**; इसके अंतर्गत दलों के अंदर विद्यमान समितियों, मुख्यमंत्री कल्ब, केन्द्रिय चुनाव समिति, नौकरशाही और सेना के संगठनों आदी को रखा जा सकता है। ये आमतौर पर विधिक और तर्कसंगत तरीकों से सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं।

2. **समुदायात्मक दबाव समूह**; ओद्योगिाक श्रमिक संघों, व्यवसायिक संघों, कृषक संघों, छात्र समुदाय, कर्मचारी संघ आदी को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। ये विधिक और तर्कसंगत तरीकों के साथ साथ गैर विधिक तरिकों जैसे कि हड़ताल और धरना प्रदर्शन आदी का सहारा भी अपने हितों की पूर्ति के लिए करते हैं।

3. **असमुदायात्मक दबाव समूह;** साम्प्रदायिक तथा धार्मिक दबाव समूह, जातिगत समुदाय, भाषागत समुदाय, आदीवासी संगठन, विचारधारा पर आधारित संघ जैसे समूहों को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। ये वैधिक तरिकों का प्रयोग ही मुख्य रूप से सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के लिए करते हैं।

4. **प्रदर्शनात्मक दबाव समूह**; नक्सली समूह, दल खालसा, गुजरात नवनिर्माण समिति, जम्मू एंड कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट तथा उल्फा जैसे दबावकारी संगठनों को इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। इन समूहों को आमण्ड और पॉवेल **विलोम समूहों** की संज्ञा देते हैं क्योंकि ये राजनीतिक व्यवस्था के विरूद्ध निरन्तर एक समानान्तर व्यवस्था कायम रखते हैं। ये हिंसक प्रदर्शनों, विद्रोह और धरनों के जरिए अपनी मांगों को व्यवस्था के सामने रखते हैं और उनकी पूर्ति ही इनका एकमात्र लक्ष्य होता है। कभी कभी ये व्यवस्था के लिए संकट भी उत्पन्न कर देते हैं। **मायरन वीनर** इन समूहों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। क्योंकि इसके सदस्य ज्यादातर व्यवस्था द्वारा सताए हुए होते हैं जिनकी शांतिपूर्ण मांगों की तरफ सरकार और व्यवस्था कोई ध्यान नहीं देती है। उनके अनुसार **भारत में सरकार दबाव गुटों की मांग की तरफ उस समय तक ध्यान नहीं देती हैजब तक की जन आंदोलनों के माध्यम से ये अपनी शक्ति का परिचय नहीं देते। सरकार इनकी मांगों को इसलिए नहीं मानती है कि वे न्यायोचित होते हैं बल्कि इसलिए मानती है कि मांग करने वाले गुट उसे ऐसा करने के लिए बाध्य देते हैं।**